न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015 नि0 | 3452/ II | 15

फूलचंद आ. श्री नन्कूलाल चौहान जाति खटिक
आयु 67 वर्ष निवासी होलिका चौराहा श्यामपुर
कृषक ग्राम बैरागढ़ खुमान तहसील
श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0

..........निगरानीकर्ता

विरुद्ध

सतीश आ. श्री अर्जुन सिंह आयु वयस्क
निवासी ग्राम बैरागढ़ खुमान तहसील श्यामपुर
जिला सीहोर म0प्र0

..........रेस्पाण्डेंट

आज दिनांक 24/9/15 को ... द्वारा प्रस्तुत। 24/9/15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 29/05/2015 प्रकरण कमांक 10/अ-12/14-15 (सतीश विरुद्ध सर्वसाधारण) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. प्रकरण कमांक 10/अ-12/14-15 (सतीश विरुद्ध सर्वसाधारण) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय श्यामपुर दिनांक 29/05/2015

02. प्र0क्र0 19/अ-70/14-15 (सतीश वि0 फूलचंद) न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय श्यामपुर जिला सीहोर (म0प्र0)

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ तहसीलदार महोदय, के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है –

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट के द्वारा भूमि सर्वे नंबर 445 रकबा 0.097 हेक्टेयेर, सर्वे नंबर 450/1 रकबा 1.214 हैक्टेयर स्थित ग्राम बैरागढ़ खुमान तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0 उल्लेखित करते हुये भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेढ़िया कृषकों को एवं निगरानीकर्ता को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर विधिवत सूचना पत्र तामिल कराये बगैर राजस्व प्रक्रिया के विपरीत जाकर अवैधानिक एंव दुषित प्रकिया का पालन करते हुये भूमि का सीमांकन किया गया दिखावटी एंव फर्जी तरीके से किये गये सीमांकन दिनांक 29/05/2015 को निगरानीकर्ता निम्न विधिक आधारों पर चुनौती देता हैः-

निरंतर पेज 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R-3452–11–.2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश फूलचन्द / शतीष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–01–2016	यह निगरानी तहसीलदार श्यामपुर के प्रकरण कमांक 10 / अ–12 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 29.05.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एन.एस. ठाकुर द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया। अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा भूमि सर्वे कमांक 446 रकवा 0.097 है. तथा सर्वे कमांक 450 / 1 रकवा 1.214 है. का सीमांकन कराये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सीमांकन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही दिनांक 29.5.15 को की गयी सीमांकन कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतियां तो प्रकरण में अवलोकित है किन्तु सीमांकन कार्यवाही से संबंधित प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रकरण के संलग्न नहीं है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत अपील / निगरानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के आवेदन के साथ आक्षेपित चुनौतीशुदा आदेश की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाना चाहिए। उपरोक्त नियमों के प्रकाश में यदि प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की जाती है तो निगरानी विचारयोग्य नहीं मानी जा सकती है। इस निगरानी प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही दिनांक 29.5.15 को बनाये स्थल पंचनामा की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति तथा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 15.6.15 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रतियां संलग्न है जो नियमानुसार विचार योग्य नहीं है विधितः छाया प्रतियों को प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु विचार में नहीं लिया जा सकता। प्रकरण के संलग्न अभिलेख के साथ तहसीलदार के प्रकरण कमांक 19 / अ–70 / 14–15 की आदेश पात्रिका	

प्रकरण कमांक R -3452–11–.2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश फूलचन्द / शतीष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

दिनांक 16.7.15 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं जिनका इस प्रकरण में प्रश्नाधीन वाद विषय से कोई संबंध नहीं है और न ही प्रकरण कमांक 19 / अ–70 / 14–15 की कार्यवाही को चुनौती ही दी गयी है। इस निगरानी के माध्यम से पैरा 1 में अंकित प्रकरण की कार्यवाही को चुनौती दी गयी है।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो के साथ संहिता की धारा 48 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आक्षेपित आदेश की तथा आक्षेपित आदेश पारित किए जाने संबंधी प्रकरण की प्रमाणित तहसील न्यायालय से प्राप्त न होने की स्थिति में बिना प्रमाणित प्रतियों के ही निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में तर्क के दौरान समक्ष में आवेदक अधिवक्ता द्वारा शीघ्र ही प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने का समय दिए जाने का भी निवेदन किया गया था जिसे स्वीकार करते हुए उन्हें समक्ष में 15 दिवस का समय दिया गया था। प्रकरण में ग्राह्यता पर सुनवाई दिनांक 17. 12.15 को भोपाल केम्प न्यायालय में की गयी थी जिसे 15 दिवस से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रतियां आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गयी हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्यिक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि उन्हें प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में वैधानिक कठिनाई हो रही है।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि. हो।

13.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य